प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुड़गॉव।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
3. सभी श्रम तथा समझौता अधिकारी, हरियाणा राज्य ।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य ।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत ।

क्रमांक: 6415-32 दिनांक 6/8/10

विषय: न्यूनतम वेतन को उपभेक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा दिनांक 01-07-2010 से बढ़ोतरी बारे पत्र।

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है कि सरकार की अधिसूचना दिनांक 27-6-2007 द्वारा भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-07-2007 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं । इन आंकड़ों में हुई बढ़त / घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् (जनवरी व जुलाई) न्यूनतम वेतन में बढ़त / घटत होती रहती है ।

अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जनवरी 2010 से जुन, 2010 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत / बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है :-

जनवरी, 2010	687 (1484)
फरवरी, 2010	681 (1471)
मार्च, 2010	680 (1469)
अप्रैल, 2010	680 (1469)
मई, 2010	680 (1469)
जून, 2010	687 (1484)
औस्त	683 (1475)

दिसम्बर, 2009 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य सूचकांक 1417 थे । अब मास जून, 2010 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 1475 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 58 अंकों की बढ़ौतरी हुई है । हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27-06-2007 जो कि प्रथम जुलाई, 2007 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 2.31 रुपए प्रतिअंक है जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत सभी श्रेणी के श्रमिकों में न्यूनतम वेतनों में दिनांक 01-07-2010 से मासिक रुपए 133.98 और दैनिक रुपए 5.15 की बढ़ौतरी हुई हे । अतः अब दिनांक 01-07-2010 से हरियाणा राज्य में सभी श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरें पूर्व की भांति निम्न प्रभाव से देय बनती है :-

क्रम संख्या	श्रेणी	मासिक वेतन	दैनिक वेतन
1.	अकुशल	रु0 4348.21	रु0 167.23
2.	अर्धकुशल (ए)	रु0 4478.21	रु0 172.23
	(बी)	रु0 4608.21	रु0 177.23
3.	कुशल (ए)	रु0 4738.21	रु0 182.23
	(बी)	रु0 4868.21	रु0 187.23
4.	उच्च कुशल	रु0 4998.21	रु0 192.23

उपरोक्त के अतिरिक्त ईट भटठा उद्योग के रेटस में बढ़ौतरी निम्न प्रकार से है:-

Pathera		Bharai wala		Keri wala (per 1000)	Nikasi wala (per 1000)	Chinai wala (Per Month)	Mistri (Per Month)
Brick	Tiles	A	B				
247-76	278-73	111-49	91-67	19-82	81-76	4738-21	4738-21

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने-2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन कमांक :   दिनांकः

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. सभी ज़िला उपायुक्त, हरियाणा राज्य ।
2. प्रबंधक निदेशक, हैफेड, हरियाणा, पंचकुला ।
3. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा ।
4. प्रबंधक निदेशक, हरियाणा डेयरी विकास निगम, पंचकुला ।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा, पंचकुला ।
6. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पंचकुला ।
7. निदेशक, शहरी विकास, हरियाणा , चण्डीगढ़ ।
8. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य), हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, पंचकुला ।
11. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकुला ।
12. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पंचकुला ।
13. आयुक्त, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
14. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला ।
15. मुख्य वनपाल, हरियाणा, पंचकुला ।
16. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
17. सभी अधिकारी , (मुख्यालय)

कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा ।